



—:: तकनीकी निविदा प्रपत्र ::—

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में उत्पाती एवं आतकी बन्दर पकडने का कार्य।

फर्म का नाम :


- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 29/01/25 से 10/02/25 (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 29/01/25 से 10/02/25 (सांय 6.00 बजे तक)
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 11/02/25 प्रातः 11.00 बजे)
- अनुमानित राशि : 7,50,000/-
- धरोहर राशि : 15,000/-
- निविदा शुल्क : 1,000/-
- प्रोसेसिंग शुल्क : 500/-
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी।

क्र.सं	तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां/नहीं	संलग्न पेज सं
1	धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के Kota MC पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।		
2	स्थाई पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज आदि की स्वप्रमाणित प्रति।		
3	निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।		
4	पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।		
5	संवेदक की फर्म ब्लेक लिस्टेड/डी-बार नहीं होने बाबत् रू0 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।		
6	संवेदक को निगम के किसी भी महापौर/उपमहापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत् रू0 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।		
7	किसी भी नगर निकाय मे उत्पाती एवं आतकी बंदर पकडने के कार्य के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की की प्रति।		
8	AWBI से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी किया गया People for Animal (पशु प्रेमी) प्रमाण पत्र।		

नोट:-तकनीकी बिड में सफल संवेदको की ही वित्तीय बिड खोले जाने की सूचना वेब साईट पर डाउनलोड की जावेगी।

हस्ताक्षर संवेदक

अति0 आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर



—: वित्तीय निविदा प्रपत्र :-

५५
अति आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

फर्म का नाम :

- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाइट से) : 22/01/25 से 10/02/25 (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा अपलोड करने की तिथि : 22/01/25 से 10/02/25 (सांय 6.00 बजे तक)
- तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 11/02/25 प्रातः 11.00 बजे तक)
- अनुमानित राशि : 7,50,000 /-
- धरोहर राशि : 15,000 /-
- निविदा शुल्क : 1,000 /-
- प्रोसेसिंग शुल्क : 500 /-
- धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी।

क्र.सं	कार्य का नाम	दर प्रति बन्दर	
		अंको में	शब्दों में
1	नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में उत्पाती एवं आंतकी बन्दर पकडने का कार्य।		

नोट :-1. दरो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

नाम

पता


मोबाईल नं०

शर्तें :-

1. निविदा ऑनलाईन भरी जावेंगी। निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी। जिसका साक्ष्य निविदा की तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा तकनीकी बिड पर विचार नहीं होगा।
2. निविदा भरने हेतु निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन www.kotamc.org पर जमा करानी होगी। उक्त ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन फर्म अथवा फर्म के प्रोपराइटर के बैंक खाते से करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 के नियम एवं शर्तें निविदा में लागू होंगे।
4. निविदादाताओं को धरोहर राशि/निविदा शुल्क/बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस ऑन लाईन नगर निगम/परिषद/पालिका की वेबसाइट पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्वेन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।
5. बोली आमंत्रण प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने हैं।
6. निविदा में स्वीकृत सामग्री/सेवाओं की दरें कार्यादेश तिथि से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी, उक्त अवधि को आपसी सहमति से 01 वर्ष के लिये ओर बढ़ाया जा सकता है।
7. तकनीकी बिड के साथ निविदा दस्तावेज संलग्न करने हैं अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 1. धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवम् प्रोसेसिंग फीस के भुगतान ऑनलाईन www.Kotamc.org पर जमा कराने के Kota MC पोर्टल से जारी रसीद के साक्ष्य की प्रमाणित प्रति।
 2. स्थाई पता प्रमाणीकरण हेतु राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज आदि की स्वप्रमाणित प्रति।
 3. निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित।
 4. पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
 5. संवेदक की फर्म ब्लेक लिस्टेड/डी-बार नहीं होने बाबत रु0 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।
 6. संवेदक को निगम के किसी भी महापौर/उपमहापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत रु0 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर कार्य पालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनीकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।
 7. किसी भी नगर निकाय में उत्पाती एवं आतंकी बंदर पकडने के कार्य के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की की प्रति।
 8. AWBI से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी किया गया People for Animal (पशु प्रेमी) प्रमाण पत्र।
8. संवेदक/फर्म को राजकीय/अर्धराजकीय/नगर निगम कार्यालय में बन्दर/पकडने का अनुभव होने का प्रमाण पत्र के रूप में कार्यादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
9. फर्म का नगर निगम कोटा उत्तर के किसी भी महापौर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी के परिवार का ब्लड रिलेशन नही होने एवं फर्म के ब्लेक लिस्ट नही होने का शपथ पत्र पृथक-पृथक संलग्न करना होगा।
10. बन्दरों को पकडने का कार्य नगर निगम कोटा उत्तर, आयुक्त, अति0 आयुक्त, उपायुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।
11. बन्दर पकडने के सभी प्रकार के पिजरे (छोटे, बड़े) की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर पर करनी होगी।
12. संवेदक द्वारा पकडे गये बन्दरों की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अगले दिन 11.00 बजे कार्यालय जनस्वास्थ्य अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी।
13. स्वास्थ्य अधिकारी, द्वारा बनाये गये कार्यक्रम के अनुसार स्थान से बन्दर पकड़कर निर्देशित स्थान पर छोड़ा जावेगा।
14. पिजरों को लाने ले जाने का वाहन एवं बन्दर छोड जाने के स्थान तक बन्दरों को ले जाने की व्यवस्था निगम द्वारा की जावेगी।
15. बन्दरों को निर्धारित भोजन (खाना खुराक) की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।

16. पशु क्रूरता नियमों की पालना कर ही बन्दर पकड़ने होंगे। यदि नियमों की पालना नहीं होती है तथा इस वजह से कोई आपत्ति आती है तो समस्त प्रकार के विवाद के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
17. पकड़े हुये बन्दरो को वन विभाग द्वारा बताये गये स्थानो पर निगम के निर्देशानुसार पकड़ने के पश्चात् अधिकृत स्टाफ की प्राप्ति रसीद लेकर छोड़ना होगा।
18. बन्दर पकड़ने वाली टीम को ठहरने की व्यवस्था निगम द्वारा की जावेगी।
19. पकड़े हुये बन्दरों को निगम/वन्य जीव विभाग/वन विभाग द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी के पर्यवेक्षण/मौजूदगी में उन्ही के निर्देशित स्थान पर छोड़ा जायेगा तथा उनके द्वारा छोड़े गये बन्दरो की संख्या एवं स्थान का प्रमाणीकरण पर ही भुगतान किया जावे।
20. निगम हित में कमी भी कार्यादेश/अनुबंध कमी भी निरस्त किया जा सकेगा।
21. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अन्दर मियाद 3 दिवस में नियमानुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निगम में प्रस्तुत करना होगा।
22. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर में निहित होगा।
23. निविदायें बन्द लिफाफो में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का पूर्ण विवरण अंकित कर पेश करने होंगे। निविदा बन्द लिफाफे में निर्धारित समय व दिनांक तक ही निविदायें प्रस्तुत की जा सकेगी। उसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकण द्वारा पूर्ण किया जायेगा।
25. निविदा की दरे शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जावे ताकि स्पष्टता बनी रहे। यदि कोई अंक या शब्दो में ओवर राईटिंग अथवा कटिंग की गई हो तो निविदा अमान्य होगी।
26. अर्नेस्ट मनी निम्न मामलो में जब्त कर ली जावेगी।
 1. जब कार्य आदेश देने के बावजूद निर्देशानुसार कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
 2. निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को संपादित नहीं करता है।
 3. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव का वापस ले लेता है।
 4. निविदा की शर्तो की पालना नहीं करता है।
29. सभी विवादो का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
30. किसी विवाद के लिये अन्तिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी का मान्य होगा।
31. अनुबंध के समय निविदा राशि का 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी।
32. जी0एस0टी0 अथवा अन्य करों के भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा।
33. सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगर पालिका क्रय एवं आर0टी0पी0पी0 एक्ट 2012 एवं आर0टी0पी0पी0 रूल्स 2013 में दिये गये नियम लागू होंगे।
34. नियमों मे विसंगती होने पर RTPP Act 2012 & Rules 2013 सर्वोपरी होंगे।

मैने सलंग्न शर्तो, निर्देशो का भली भांति अध्ययन कर लिया है। और मैं उक्त शर्तो का पालन करूंगा।


 अति0 आयुक्त
 नगर निगम कोटा उत्तर